Phone : 0141-2795510
Fax : 0141-2795544

Website : www.ruhsraj.org

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

RAJASTHAN UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

Sector-18, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur-302033 (Raj.)

क्रमांक–एफ 4 ( )/गोपनीय/राज.स्वा.वि.वि/2017/7905 दिनांक 7/10/2017

प्राचार्य
समस्त संबद्व मेडिकल महाविद्यालय,
राज.स्वा.वि.वि., जयपुर

विषय : First MBBS (Main) Exam Aug, 2017 के परीक्षा परिणाम उपरांत पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना हेतु ऑनलाईन आवेदन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक **7.10.2017** को मेडिकल संकाय के **First MBBS (Main) Exam Aug, 2017** परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना प्रस्तावित हैं।

अतः नियमानुसार परिणाम जारी होने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर विद्यार्थी पुनर्मूल्याकन/पुनर्गणना फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ruhsraj.org.in पर ऑनलाईन भरकर संबंधित महाविद्यालय में हार्डकॉपी जमा करायें। पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के ऑनलाईन फार्म जमा कराने हेतु उपरोक्त पोर्टेल पर दिनांक **08.10.2017 से 14.10.2017 को रात्रि 12.00 बजे तक खुला रहेगा।**

उपरोक्त परीक्षा हेतु पुनर्मूल्याकन/पुनर्गणना आवेदन के लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल www.ruhsraj.org.in से ही आवेदन किया जाएगा।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय से संबंधित विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना (Re-evaluation/Re-Totalling) फार्म तय समय सीमा के अंदर भरना सुनिश्चित करें एवं आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी को महाविद्यालय में जमा करवायें।

SPECIAL NOTE

- **महाविद्यालय कॉलेज पोर्टल के माध्यम से पुनर्मूल्याकन/पुनर्गणना फार्म को दिनांक 16.10.2017 तक आवश्यक रूप से ऑनलाईन वैरीफाई के उपरांत पोर्टल पर दिये गये ऑप्शन प्रिंट वैरीफाईड पुनर्मूल्याकन/पुनर्गणना सूची को प्रिंट कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का श्रम करावें। छात्रों द्वारा जमा कराए गए पुनर्मूल्याकन/पुनर्गणना फार्म महाविद्यालय स्तर पर ही संधारित किए जावेंगे।**

नोट :

- पुनर्मूल्यांकन हेतु प्रथम प्रयास की बाध्यता समाप्त हो चुकी है अतः विद्यार्थी किसी भी प्रयास में अगर परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तो वह पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन के लिए योग्य है।
- महाविद्यालय पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की तिथि संबंधी सूचना अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर साथ ही विद्यार्थियों को भी इसकी सूचना दें।
- यदि अभ्यर्थी नियम से अधिक विषयों/उत्तरपुस्तिकाओं में पुनर्मूल्यांकन भर देता है अथवा अभ्यर्थी एक से ज्यादा बार पुनर्मूल्यांकन फार्म भरकर ऑनलाईन भुगतान करा देता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
- अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दिये गये दिशा–निर्देशों का आवश्यक रूप से अवलोकन करने के उपरांत ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदन करें। यदि अभ्यर्थी ने पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का शुल्क ऑनलाईन जमा करा कर दिशा–निर्देशानुसार आवेदन पत्र प्रिंट कर लिया है तो ऐसी स्थिति में भरे हुए आवेदन फार्म में संशोधन नहीं होगा।
- अभ्यर्थी सात दिवस के अंदर ही पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का आवेदन फार्म एवं ऑनलाईन पद्वति से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर आवेदन पत्र का प्रिंट (निर्धारित सात दिवस के अंदर) लेकर संबंधित महाविद्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त तिथि के उपरांत प्राप्त पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना आवेदनों पर नियमानुसार विचार नहीं किया जाएगा।

उप–कुलसचिव,गोपनीय

क्रमांक–एफ 4 ( )/गोपनीय/राज.स्वा.वि.वि/2017/7906-07 दिनांक 7/10/2017

प्रतिलिपि :–

1. सैलर अनुभाग, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
2. रक्षित पत्रावली

अनुभागधिकारी,सैलर